

**न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)**

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/ 63

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 50 /2023

GCMS No. #2023/146

उनवान प्रकरण :- किशानी बनाम तहसीलदार

**:- आदेश:-**

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का प्लान व भूअ.नि. चितावा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	शिव पूर्वी	6	किशनी पत्नी बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट गंगाराम पुत्र बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट चुन्नीदेवी पुत्री बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट नोलाराम पुत्र बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट पूराराम पुत्र बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट भंवरलाल पुत्र बिड़दा हिस्सा 1/6 जाति जाट	किशनी पत्नी बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट गंगाराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट चुन्नीदेवी पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट नोलाराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट पूराराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट भंवरलाल पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/2023/ 64-65

दिनांक :- 30.05.2023

**प्रतिलिपि :-** सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी किशनी पत्नी बिरदाराम जाट शिवपूर्वी वगैरह तह. कुचामनसिटी को सूचनार्थ

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

